प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पंद्रह'

[25/2/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 491]

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 491 द्वारा इंजी. प्रदीप लारिया

पं. दीनदयाल नगर कॉलोनी नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग को हस्तांतरण के संबंध में मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही।

क्र.	कार्यवाही का विवरण
1.	वर्ष 2009 में सरपंच, ग्राम पंचायत गंभीरिया, सागर द्वारा कालोनी हस्तांतरण हेतु रू. 110.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव के विरूद्ध मण्डल द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गंभीरिया को रू. 90.00 लाख में हस्तांतरण करने हेतु लेख किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत गंभीरिया, सागर द्वारा दिनांक 28/7/2009 को मंडल द्वारा निर्धारित राशि रू. 90.00 लाख में कालोनी हस्तांतरण लेने हेतु सहमति व्यक्त की गयी। सहमति उपरांत 16/6/2009 को मण्डल द्वारा रू. 90.00 लाख की स्वीकृति कालोनी हस्तांतरण हेतु प्रदान की गयी। ग्राम पंचायत चुनाव होने से आचार संहिता लागू होने के क्रम में कालोनी का हस्तांतरण नहीं हो सका। चुनाव उपरांत नव निर्वाचित सरपंच द्वारा इस राशि में कालोनी हस्तांतरण लेने में सहमत नहीं होने एवं दिनांक 14/4/2011 को मान.श्री नरोत्तम मिश्रा, तत्कालीन मंत्री आवास एवं अध्यक्ष, म.प्र.गृह निर्माण मंडल के सागर प्रवास के दौरान कालोनी निरीक्षण के समय कालोनीवासियों द्वारा राशि अपर्याप्त बताए जाने पर स्वीकृत राशि बढ़ाकर रू. 150.00 लाख किए जाने एवं दो किश्तों में भुगतान की घोषणा की गई थी। मंडल द्वारा निरंतर निवेदन उपरांत वर्ष 2011 में सरपंच ग्राम पंचायत गंभीरिया द्वारा लेख किया गया कि कालोनी पूर्ण रूप से विकसित न होने के कारण वे कालोनी का हस्तांतरण लेने में असमर्थ हैं।
2.	नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग क्षेत्रांतर्गत प्रश्नाधीन कालोनी आने के क्रम में मण्डल द्वारा 7/5/2015 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मकरोनिया बुजुर्ग को कालोनी हस्तांतरण बाबत आवेदन दिया गया।
3.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मकरोनिया बुजुर्ग द्वारा पत्र क्र. 306 दि. 4/8/2015 द्वारा रू. 20,60,13,635.00 का प्राक्कलन दिया गया।
4.	प्राप्त प्राक्कलन के परिप्रेक्ष्य में मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक 949 दि. 14/9/2015 द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को संशोधित प्राक्कलन राशि रू. 331.03 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत कर मांग पत्र देने हेतु अनुरोध किया गया।
5.	शासन परिपत्र अनुसार कालोनी हस्तांतरण के संबंध में मध्यस्थता हेतु कलेक्टर, जिला सागर को पत्र क्र. 1059 दि. 1/10/2015 द्वारा अनुरोध किया गया।
6.	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मकरोनिया बुजुर्ग द्वारा 5/11/2015 को कालोनी हस्तांतरण के संबंध में तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई जो मण्डल द्वारा पत्र क्रमांक 1369 दि. 17/11/2015 से उन्हें प्रदान की गई।
7.	कलेक्टर, सागर द्वारा नगर पालिका अधिकारी मकरोनिया बुजुर्ग को कालोनी हस्तांतरण हेतु तीन कार्यपालन यंत्रियों (कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी विभाग एवं कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग सागर) के साथ संयुक्त निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

8. संयुक्त निरीक्षण उपरांत प्रतिवेदन दिनांक 8/12/2015 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मकरोनिया बुजुर्ग को प्रस्तुत किया गया जिसमें निम्नानुसार प्रस्ताव दिया गया :–

1.	समस्त सड़कों को डामरीकृत करने हेतु राशि	रू. 214.76 लाख
2.	नाली के निर्माण कार्य हेतु	रू. 120.27 लाख
3.	सीवर लाइन दुरूस्तीकरण एवं नई सीवर लाइन हेत	रू. 79.00 लाख
	कुल	रू. 414.03 लाख

10/2/16

(एस.के.मेहर)
अपर आयुक्त
म.प्र.गृह निर्माण एवं अधोसंरचना
विकास मण्डल, भोपाल